



संख्या आर- 6716 /1138-एल0पी0

दिनांक: 04 नवम्बर, 2019

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: उत्तरी क्षेत्र/ दक्षिणी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/
पूर्वोत्तर क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र/ भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान।

निदेशक: हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/जम्मू एवं कश्मीर भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ0प्र0 भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/कर्नाटक भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/केरल व लक्षद्वीप भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/तमिलाडु, पांडिचेरी एवं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/आंध्र प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/राजस्थान भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/गुजरात, दमन एवं दीव भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/पश्चिम बंगाल और सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/उड़ीसा भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/बिहार भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/झारखण्ड भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/मध्य प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/आसाम एवं नागालैण्ड भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/सर्वेक्षण(हवाई) एवं दिल्ली भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/ज्योड्डीय एवं अनुसंधान शाखा/भौगोलिक सूचना पद्धति और सूदूर संवेदन/मानचित्रण अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/अंकीय मानचित्रण केन्द्र/राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/उत्तरी मुद्रण वर्ग/पूर्वी मुद्रण वर्ग/दक्षिणी मुद्रण वर्ग/पश्चिमी मुद्रण वर्ग/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय (म0स0का0)/ सहायक भण्डार अधिकारी (म0स0का0)।

विषय: अनुपयोगी एवं पुराने वाहनों को अप्रयोज्य घोषित करने के संबंध में।

In continuation to this office letter No. R-1941/1138-L/SGO dated 12.07.2019 (copy enclosed) it is intimated that the following guidelines may please be adhered to while forwarding proposal of condemnation of vehicles to SGO:-

- For vehicles having book value less than 2 Lakhs, and which have covered "requisite distance" and "requisite number of years", proposal should be forwarded separately as the same is within the power of SGI to declare unserviceable.
- For vehicles having book value above 2 Lakhs, and which have covered "requisite distance" and "requisite number of years", proposal should be forwarded separately as the same is within the power of DST to declare unserviceable.
- Any vehicle which is being declared unserviceable pre-maturely due to shortage in "Requisite distance" or "Requisite number of years" the proposal should be forwarded separately as concurrence of IFD, DST is also required to be taken in these cases.

2. This is for information & further necessary action please.

Encl.As above

उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक



सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

टैलीफैक्स/Telefax :+91-135-2744064,2743331
वेबसाईट/ Website : www.surveyofindia.gov.in
ई-मेल/E-Mail : sgo.regulation soi@gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
हाथीबड़कला एस्टेट डाक बक्स सं.-37
HATHIBARKALA ESTATE, PostBox No.37
देहरादून-248001(उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRADUN-248001(Uttarakhand)-INDIA

संख्या आर- 1941/1138-एल/एस0जी0ओ0

दिनांक: 12 जुलाई, 2019

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक:उत्तरी क्षेत्र/ दक्षिणी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/
पूर्वोत्तर क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र/ भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान ।

निदेशक: हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/जम्मू एवं कश्मीर भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ0प्र0 भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/कर्नाटक भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/केरल व लक्षद्वीप भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/महाराष्ट्र एवं गोवाभू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/तमिलाडु, पांडिचेरी एवं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/आंध्र प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/राजस्थान भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/गुजरात, दमन एवं दीव भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/पश्चिम बंगाल और सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/उड़ीसा भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/बिहार भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/झारखण्ड भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/मध्य प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/आसाम एवं नागालैण्ड भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/सर्वेक्षण(हवाई) एवं दिल्ली भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा/भौगोलिक सूचना पद्धति और सूदूर संवेदन/मानचित्रण अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/अंकीय मानचित्रण केन्द्र/राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/उत्तरी मुद्रण वर्ग/पूर्वी मुद्रण वर्ग/दक्षिणी मुद्रण वर्ग/पश्चिमी मुद्रण वर्ग/अन्तराष्ट्रीय सीमा निदेशालय (म0स0का0)/ सहायक भण्डार अधिकारी (म0स0का0) ।

विषय: अनुपयोगी एवं पुराने वाहनों को अप्रयोज्य घोषित करने के संबंध में ।

संदर्भ: इस कार्यालय के पत्र सं.आर-2369/1138-एल/एल0पी0 दिनांक 22.04.19 के अनुक्रम में।

In continuation of this ^{Office} letter under reference above, it is intimated that around 60 vehicles as highlighted in the Annexure (enclosed) are of the vintage of 2004 and beyond i.e., they are more than 15 years old.

In view of the above, the concerned GDCs/Offices should immediately start the condemnation process so that new vehicle can be purchased. The fortnightly progress report of condemnation process may also be forwarded to this office for perusal of the Surveyor General of India.

इस के सरकार
(सुमन कुमार सरकार)

कर्मल

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

Encl: As above